RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 13153/2026
CNR: RJHC010591002026
URN: CW / 23954U / 2026

Babu Lal S/o Shri Natha Ram, Aged About 51 Years, Resident Of Marudhar Kesari Nagar, Shobhawaton Ki Dhani, Kheme Ka Kuwa, Pal Road, Jodhpur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Secretary, Department Of Secondary Education, Jaipur, Rajasthan.
2. The Joint Director (School Education), Jodhpru Division. Jodhpur, Rajasthan.
3. The Chief Block Education Officer, Keru, Jodhpur, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Kshitij Vyas, Adv. for Mr. Javed Hussain, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>08/07/2026</u>

01. याची कर्मचारी पर यह आरोप है कि उसने वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तनावड़ा, लूणी, जोधपुर में कार्यरत रहते हुए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, 2023 में चयनित अभ्यर्थी की बेक डेट में कूटरचित तरीके से अंकतालिका जारी की। इस आरोप के संबंध में याची के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के साथ–साथ राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत आरोप पत्र व आरोपों का अध्यापन आदि कर अनुसंधात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें जवाब प्रस्तुत करने हेतु याची को अयाची विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2026 के माध्यम

से नोटिस दिया गया है, जिसे इस याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए प्रभाव व क्रियान्वित को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया।

02. विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 9645/2026 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जारी आरोप पत्र के संबंध में आगामी कार्यवाही को स्थगित किया हुआ है।

03. स्पष्ट है कि कथित अवचार के संबंध में विभागीय जांच के अनुक्रम में याची को जो आरोप पत्र आदि दिये गये हैं, उसे स्वयं याची द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 9645/2026 के माध्यम से चुनौती दी जा चुकी है, जिसमें अंतरिम आदेश भी पारित हो चुका है और उसी कार्यवाही को चुनौती देते हुए यह द्वितीय याचिका प्रस्तुत की गई है, जो उचित नहीं है।

04. अतः वर्तमान याचिका गुण दोषों पर जाये बिना खारिज की जाती है। साथ ही स्थगन आवेदन भी इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

14-Kumawat